



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072022-237078
CG-DL-E-05072022-237078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ़ 13, 1944

No. 339]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2022

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.089.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, 201, 202, 219 और धारा 220 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016 के विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अनुशासनिक कार्यवाहियां

8. अनुशासनिक कार्यवाहियों का संचालन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन III.4/असा./160/2022-23]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 420, तारीख 22 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.002, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 259, तारीख 23 जुलाई, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.044, तारीख 23 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) (संशोधन) विनियम, 2019 द्वारा किए गए।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2022

F. No. IBBI/2022-23/GN/REG089.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 201, 202, 219, and 220 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Board hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2017, for regulation 8, the following regulation shall be substituted, namely: -

“Disciplinary proceedings.

8. The disciplinary proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017.”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADV.T.-III/4/Exty./160/2022-23]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG002 on 22nd November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 420 dated 21st November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification No. IBBI/2019-20/GN/REG044 dated 23rd July, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 259 dated 23rd July 2019.